**फिलिस्तीनी बंदी दिवस पर इजरायली जेलों में बंद फिलिस्तीनी कैदियों और बंदियों को रिहा करने की नागरिक समाज की तरफ से अपील**

**दिनांक- १७ अप्रैल २०२०**

आज फ़लीस्तीनी बंदी दिवस की तारीख है. आज जबकि पूरा विश्व COVID-19 जैसे महामारी से जूझ रहा है ठीक उसी वक़्त, इस्राइली जेलों और बंदीगृहों में बंद हजारों फ़लीस्तीनी कैदी यातना के साथ साथ इस महामारी के खतरे की दोहरी मार भी झेल रहे हैं. आज जबकि पूरी दुनिया में इस वैश्विक आपदा के मद्देनज़र, जेलों में बंद कैदियों को रिहा करने की बात की जा रही है उसके ठीक उलट इसराइल, जेलों में बंद कैदियों को छोड़ना तो दूर उनको जेलों में भी इस बीमारी से बचाने के लिए कोई इंतज़ाम नहीं किये जा रहे. साथ ही पहले की ही तरह मनमाने ढंग से फ़लस्तीनी लोगों की गिरफ्तारियां, नज़रबंदी और मानवाधिकार उल्लंघन बदस्तूर जारी है.

इस साल हमारा संगठन फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई और COVID-19 जैसी महामारी में उनके स्वास्थ्य के अधिकार को सुनिश्चित कराने के लिए तुरंत करवाई करने की अपील करता है क्यूंकि बंदियों में ज्यादातर नाबालिग बच्चे, बूढ़े और लम्बी बिमारी से ग्रस्त मासूम शामिल हैं जिनको अंतरराष्ट्रीय कानूनों की धज्जियाँ उड़ाते हुए गिरफ्तार किया गया है. Addameer Prisoner Support and Human Rights Association के अनुसार 5000 फिलिस्तीनी नागरिक इसराइल की जेलों में बंद हैं जिसमे 432 प्रशासनिक तौर पर गिरफ्तार किये गए हैं और 183 बच्चों को जेलों में डाला गया है. इस्राइली उपनिवेशकों ने बिना किसी आरोप या सुनवाई के फ़लस्तीनी लोगों , पत्रकारों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और फलस्तीनी विधान परिषद् के सदस्यों को गिरफ्तार कर रखा है.

किसी भी तरह के स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित फलस्तीनी कैदी बाकी लोगों के मुकाबले COVID-19 जैसे भयानक महामारी के खतरे से ज्यादा आशंकित है जिनको खचाखच भरे जेलों के भीतर भयंकर यातना और उत्पीडन झेलना पड़ रहा है, बिना किसी स्वास्थ्य सुविधाओं के गन्दगी से भरे जेलों में उनको न तो सफाई के साधन मुहैय्या कराये गए हैं और ना ही खाने के लिए पर्याप्त भोजन की व्यवस्था की गयी है और तो और उनको अपने परिवार के सदस्यों से भी मिलने पर पूर्ण प्रतिबन्ध है. इस तरह के सारे अमानवीय हालातों में इस्राइली जेलखाना COVID-19 का कब हॉटस्पॉट बन जाए और फ़लस्तीनी कैदियों को इसका शिकार होना होना पड़ जाए ये कहा नहीं जा सकता क्यूंकि सैकड़ों फिलिस्तीन कैदी कई तरह की लम्बी बिमारियों से ऐसे भी ग्रस्त हैं जिनका अबतक इलाज नहीं किया जा रहा है. इस दर्दानाक महामारी के समय में भी इस्राइली कब्जाधारियों ने फलस्तीनियों की वेस्ट बैंक और ईस्ट जेरुसलम से नियमित रूप से गिरफ्तारियां जारी रखी हैं और उनको तुरंत quarantine में डालने का काम कर रही है.

मार्च २०२० में IPS (Israel Prison Service) ने ये घोषणा कि COVID-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए किसी भी फ़लस्तीनी कैदियों को उनके परिवार के सदस्यों से मिलने नहीं दिया जायेगा. इस्राइली कब्जाधारियों ने सैन्य न्यायालय में चलने वाले सुनवाईयों और को भी स्थगित कर दिया जो कि किसी भी व्यक्ति के स्वतंत्रता के अधिकार और सुरक्षा एवं निष्पक्ष और जल्द सुनवाई के अधिकार खुला उल्लंघन है. इसके साथ ही इसराइल फिलिस्तीनी कैदियों को उनके वकीलों से भी मिलने पर प्रतिबन्ध लगा दिया है . चूँकि अभी वकीलों को कैदियों से केवल फ़ोन पे बात करने की छूट दी गयी है इसीलिए गिरफ्तार हुए लोगों की स्वास्थ्य की हालात का अंदाज़ा लगाना नामुमकिन है.

हाल में हुए भूख हड़ताल के बाद समझौते के विफल हो जाने के बाद IPS ने जेल के भीतर भी लैंडलाइन फ़ोन तक लगाने से इनकार कर दिया जिससे इस महामारी में भी फ़लस्तीनी कैदियों का उनके परिवारों और क़ानूनी प्रतिनिधियों से मिलना और मुश्किल हो गया है. अभीतक IPS ने केवल महिला और बच्चे कैदियों को फोन पर बात करने की छूट दी है वो भी कई बार इस में भी जानबूझकर देरी की जाती रही है जिससे कैदियों और उनके परिवारों में काफी भय और आशंका का वातावरण बना रहता है. अभीतक मात्र कुछ गिने चुने कैदियों को ही उनके परिवारों से मिलने की आज्ञा दी है जो की विभत्स महामारी के समय शर्मनाक है.

जहां इस साल हम फिलिस्तीनी कैदी दिवस मना रहे हैं तो वहीं इजरायल के जेल और हिरासत केंद्र में बंद फिलिस्तीनी कैदी पर कोरोना वायरस के फैलते संक्रमण की वजह से उनपर और खतरा मंडरा रहा है। जबकि दुनिया भर की सरकार ने अंतरराष्ट्रीय कानून को बाधित करने वाले लोगों को या तो रिहा कर दिया या उनके रिहा करने की घोषणा कर चुका है तो वहीं इजरायल की सरकार ने वहां की जेल में बंद फिलिस्तीनी कैदी को रिहा करने के लिए अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है। इन सबके बजाय इजरायली सरकार महामारी के दौरान भी फिलिस्तीनी लोगों को बड़े पैमाने पर अवैध तरीके से गिरफ्तार कर रहा है। दुनिया भर में फैले कोरोना वायरस के संक्रमण के समय भी इजरायली सरकार फिलिस्तीनी लोगों के मानव अधिकार का उल्लघंन करने से बाज नहीं आ रहा है।

इस साल हमारी संस्था जेल में बंद सभी कैदियों के स्वास्थ को ध्यान में रखते हुए और उनके जीवन के अधिकार को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए तुरंत रिहा करने का मांग करती है। अंतरराष्ट्रीय कानून के उल्लंघन के आरोप में इजरायल की जेल में बंद फिलिस्तीनी कैदियों में से अधिकांश नाबालिग,बीमार और जनजाति लोग शामिल हैं। अद्दामीर कैदी सहयोग और मानव अधिकार संगठन के अनुसार इजरायली हिरासत गृह में करीब 5000 फिलिस्तीनी कैद हैं जिसमें से 432 प्रशासनिक हिरासती और 183 नाबालिग शामिल हैं। इजरायल ने फिलिस्तीनी कैदियों को बिना ट्रायल और धारा के अपने यहां बंद कर रखा है। बंद लोगों में से कई पत्रकार हैं , कई मानव अधिकार कार्यकर्ता हैं और कई फिलिस्तीनी विधानपरिषद के सदस्य भी हैं।

सामान्य लोगों की तुलना में स्वतंत्रता से वंचित व्यक्तियों पर कोविड -19 का खतरा ज्यादा है।हिरासत में बंद फिलिस्तीनी बंदी पहले से ही गंभीर यातना को सहन कर रहे हैं वहीं अब कोविड-19 उनसब पर और भी कहर ढा रहा है। पहले से ही बंदी दुर्व्यवहार , भयंकर चिकित्सा लापरवाही , भीड़भाड़ , उचित वेंटिलेशन की कमी, कीटाणुनाशक दवाओं की कमी और खराब पोषण जैसी स्थिति का सामना कर रहे हैं। वहीं इन बंदियों के परिवार से मिलने पर भी पूर्ण प्रतिबंध है। ये सभी स्थितियां इजरायल की जेलों में कोविड -19 का संक्रमण बढ़ा सकती है। वैसे भी इनमें से अधिकांश बंदी पहले से ही गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं और उन्हें इलाज नहीं मिल रहा है। महामारी के बावजूद इजरायल की सेनाओं ने पूर्वी येरूसलम और वेस्ट बैंक से फिलिस्तीनी लोगों को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया है और उनको क्वारांटाइन में रख दिया है।

मार्च 2020 की शुरुआत में ही इजरायल जेल सेवा ने कैदियों के परिवार मिलन और कानूनी सुविधाओं को रोक दिया है। इजरायल जेल सेवा ने यह दावा किया है कि ये कदम कोविड-19 के मद्देनजर उठाया गया है। इजरायल ने अपने सैन्य अदालतों में सभी मुकदमों की कार्यवाही को स्थगित कर दिया है और फिलिस्तीनी कैदियों को ट्रायल और अदालत में पूछताछ के लिए लाना भी बंद कर दिया है। इजरायल का यह कदम किसी भी व्यक्ति के स्वतंत्रता और सुरक्षा के लिए निष्पक्ष और त्वरित परीक्षण जैसे अधिकारों का उल्लघंन कर रहा है। इसके अलावा इजरायल ने फिलिस्तीनी कैदियों के साथ कानूनी प्रतिनिधियों को बैठक करने से रोक दिया है। कानूनी प्रतिनिधियों को बंदी से सिर्फ फोन पर बात करने की अनुमति दी गई है इसलिए वे फिलिस्तीनी बंदियों की स्वास्थ्य स्थिति का सही पता लगाने में असमर्थ साबित हो रहे हैं।

कुछ दिन पहले भूख हड़ताल को खत्म करने को लेकर हुए बवाल के कारण इजरायली जेल सेवा ने जेलों के अंदर लैंडलाइन फोन लगाने से मना कर दिया है ।जिससे फिलिस्तीनी कैदी अपने परिवार और कानूनी विशेषज्ञ से बात कर पाने में असमर्थ हो गए हैं। अभी तक जेल सेवा ने सिर्फ महिलाओं और बाल बंदियों को फोन कॉल की अनुमति दी है लेकिन उनमें भी कई बार अड़ंगा लगाया जा रहा है साथ है कोई भी स्पष्ट समय निर्धारित नहीं किया जा रहा है । जिसके कारण कैदियों के परिवार वाले और कैदी भी डर रहे हैं।इस महामारी के दौरान सिर्फ कुछ फिलिस्तीनी कैदियों को अपने परिवार से संपर्क करने की अनुमति दी गई है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन , संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार संगठन और विशेषज्ञ के अनुसार जेलों में कोविड-19 के प्रसार को रोकने की जरूरत है जबकि इससे उलट इजरायली जेलों की हालत काफी खराब है।कैदियों ने बताया है कि जेल प्रशासन ने कैंटीन से सामान की खरीद पर नए प्रतिबंध लगा दिए हैं जिससे सैनिटरी उत्पाद प्राप्त करना काफी मुश्किल हो गया है इसकी वजह से उचित साफ सफाई नहीं हो पा रही है। इसके अलावा जेल अधिकारी दिन ने कई बार कैदियों के कमरे की तलाशी लेते हैं जबकि वे अधिकारी ना तो हज्म सूट पहने होते हैं और ना ही दस्ताने और मास्क लगाते हैं। ओफर जेल में बंद कई फिलिस्तीनी कैदी ने इस पर अपना रोष जताया है। नूर उद्दीन सर्सोर नाम के एक कैदी को 1 अप्रैल को कोविड-19 से संक्रमित पाया गया। नूर को 18 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और फिर उन्हें 31 मार्च को छोड़ दिया गया था।

संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों ने इस महामारी के दौरान दुनिया भर कि सरकारों से उनके जेल में बंद कैदियों को रिहा करने की मांग की है। 25 मार्च 2020 को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार संगठन की आयुक्त ने कहा कि इस समय सभी सरकारों को बिना किसी कानूनी आधार पर गिरफ्तार लोगों , राजनैतिक कैदियों और असहमति रखने पर गिरफ्तार लोगों को तुरंत रिहा कर देना चाहिए। 27 मार्च को इजरायली सरकार ने करीब 400 इजरायली कैदियों को रिहा कर दिया । ये सभी कैदी कम अपराध , स्वास्थ्य और उम्र के आधार पर रिहा किए गए । फिर भी इजरायली प्रशासन ने फिलिस्तीनी कैदियों पर समान नीति नहीं लागू की जो इजरायली पर कैदियों पर लागू की गई।

फिलिस्तीनी कैदी दिवस पर हमारी संस्था फिलिस्तीनी कैदियों को इजरायली जेल से रिहा करने की तुरंत मांग करती है विशेष कर उनके लिए जो अतिसंवेदनशील हैं और गंभीर रूप से बीमार भी हैं।इसलिए हमारी संस्था इन सभी मुद्दों पर त्वरित कार्रवाई की मांग करती है :

1. **IPS** इस बात की गारंटी करे कि

* सभी इस्राइली जेलों और बंदीगृहों में लैंड लाइन फ़ोन की व्यवस्था हो, साथ ही बिना किसी निगरानी और रोकटोक के सभी फ़लस्तीनी कैदी अपने परिवार और क़ानूनी प्रतिनिधियों से फ़ोन या विडियो कॉल से संपर्क कर सकें.
* सभी कैदियों और नज़रबंद किये गए फिलिस्तीनियों को पर्याप्त चिकित्सा सेवा जेल के अन्दर मुहैय्या कराएं जाएँ. उन्हें साफ़ सफाई के सभी उपकरण और सुविधाएँ उपलब्ध कराइ जाए.
* सबके सामने आधिकारिक रूप से इस बात की गारंटी करे की covid-19 जैसे महामारी को रोकने के नाम पर एकांत कारावास और जेलों में अंतरराष्ट्रीय रूप से गैरकानूनी प्रताड़ना देना बंद करे.
* जेलों के भीतर बंद कैदियों और नज़र्बंदियों को Covid-19 जैसे महामारी से बचाने के लिए इसराइल द्वारा क्या योजनायें और नीतियाँ ली गयीं हैं, इस बात को पूरी दुनिया के सामने घोषणा करे.

1. **The International Committee of the Red Cross (ICRC) को** इस्राइली जेलों और डिटेंसन केन्द्रों का दौरा करने की छूट दी जाए ताकि वे फ़लीस्तीनी कैदियों के परिवारों को उनके स्वास्थ्य आदि की सही हालात की जानकारी दे सकें और साथ ही IPS, covid-19 जैसी महामारी से इस्राइली जेलों में बंद कैदियों के बचाव लिए अंतरराष्ट्रीय दिशानिर्देशों का पालन कर रहा है की नहीं इस बात की भी गारंटी करे.
2. जिस प्रकार से WHO, OHCHR और बाकी मानवाधिकार के लिए काम करने वाले विशेषज्ञों ने जेल के कैदियों के लिए covid-19 से बचाव हेतु जो अंतरराष्ट्रीय दिशानिर्देश जारी किये गए हैं वैसे ही दिशानिर्देश का अनुपालन करने के लिए OHCHR, इजराइल जैसे कब्जाधारी देश को भी कहे.
3. **UN Human Rights Council के सदस्य देश भी इजराइल को इस बात के लिए मजबूर करे की वो उपरोक्त** अंतरराष्ट्रीय दिशानिर्देश का पालन करे विशेषरूप से फलस्तीनी कैदियों और नज़र्बंदियो को आज़ाद करने के सम्बन्ध में ताकि इस सार्वजानिक स्वास्थ्य आपदा के समय फलस्तीनियों के स्वास्थ्य और मानवाधिकार सम्बन्धी सारे अधिकारों की रक्षा की जा सके.
4. तीसरे देश, जिसमे राजनयिक समुदाय भी शामिल है, इस बात के लिए इजराइल पर दवाब बनाये की वो जेलों में बंद फ़लस्तीनी कैदियों और नज़र्बंदियों से, COVID-19 जैसी वैश्विक महामारी के समय, अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार और मानवाधिकार कानूनों के अनुसार बर्ताव करे.

**Endorsing organizations:**

* Palestinian Human Rights Organizations Council (PHROC), including:
  + ADDAMEER Prisoner Support and Human Rights Association
  + Al Mezan Center for Human Rights
  + Al-Haq – Law in the Service of Mankind
  + Aldameer Association for Human Rights
  + DCI – Defense for Children International - Palestine
  + Hurryyat – Center for Defense of Liberties and Civil Rights
  + Jerusalem Legal Aid and Human Rights Center (JLAC)
  + Muwatin Institute for Democracy and Human Rights - Observer Member
  + Palestinian Centre for Human Rights (PCHR)
  + Ramallah Center for Human Rights Studies (RCHRS)
  + The Independent Commission for Human Rights (Ombudsman Office) - Observer Member (ICHR)
* Palestinian Non-Governmental Organizations Network (PNGO), including:
  + Arab Agronomists Association (AAA)
  + Early Childhood Resource Center (ECRC)
  + Land Research Center (LRC)
  + Palestinian General Union for Charitable Societies
  + The Palestinian Academic Society for the Study of International Affairs (PASSIA)
  + The Women’s Centre for Legal Aid and Counselling (WCLAC)
* Adalah – The Legal Center for Arab Minority Rights in Israel
* Civic Coalition for Palestinian Rights in Jerusalem (CCPRJ)
* Palestinian Counseling Center (PCC)
* The Palestine Institute for Public Diplomacy (PIPD)
* Cairo Institute for Human Rights Studies (CIHRS)
* Habitat International Coalition – Housing and Land Rights Network (HIC-HLRN)
* Abolitionist Law Center
* Adalah Justice Project
* Allard K. Lowenstein International Human Rights Clinic, Yale Law School
* Arab Lawyers Association (UK)
* Asociación Americana de Juristas (AAJ)
* Association France Palestine Solidarité (AFPS)
* Center for Constitutional Rights (CCR)
* CIVICUS
* CNCD-11.11.11
* Cornell Law School International Human Rights Clinic: Litigation and Advocacy
* Corporación Solidaridad Jurídica from Colombia
* DefendDefenders (East and Horn of Africa Human Rights Defenders Project)
* International Federation for Human Rights (FIDH)
* International Service For Human Rights (ISHR)
* National Association of Democratic Lawyers (South Africa)
* National Lawyers Guild International Committee (U.S.)
* National Union of Peoples' Lawyers (Philippines)
* Paz con Dignidad
* Plateforme des ONG françaises pour la Palestine, including:
  + For a full list of members, see: <https://plateforme-palestine.org/Les-membres>
* Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network
* World Organisation Against Torture (OMCT)